AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज व्यवस्था का योगदानः भारतीय राजनीति के विशेष संदर्भ में अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सरोज कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग
पार्वती साइंस कॉलेज
बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय
मधेपुरा, बिहार, भारत

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय राजनीति के संदर्भ में महिला सशक्तीकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का केंद्र बिंदु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की संवैधानिक भागीदारी है, जिसने ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया है। शोध में यह प्रतिपादित किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को निर्णय–निर्माण, नेतृत्व और नीति–निर्धारण में सक्रिय भूमिका प्रदान की, जिससे उनका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण संभव हुआ। पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दिलाई, जिससे जमीनी लोकतंत्र को मजबूती मिली साथ ही अध्ययन में पितृसत्तात्मक संरचना, सरपंच पति जैसी चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान हेतु क्षमता निर्माण और वास्तविक सत्ता हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह शोध महिला नेतृत्व के भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, भारतीय राजनीति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण.

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा जनसहभागिता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने जिस लोकतांत्रिक ढाँचे को अपनाया, उसका उद्देश्य केवल शासन की संस्थाओं को सुदृढ़ करना नहीं था, बल्कि उन सामाजिक वर्गों को भी राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचना और उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इस व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टि में महिला सशक्तीकरण एक केंद्रीय आयाम के रूप में उभरता है। महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी के बिना लोकतंत्र न तो पूर्ण हो सकता है और न ही वास्तविक अर्थों में उत्तरदायी। महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को केवल अधिकार.प्राप्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह महिलाओं को निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रभावी सहभागी बनाने की निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका आशय नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में महिलाओं की समान भूमिका सुनिश्चित करने से है। चूँकि राजनीति वह क्षेत्र है जहाँ सत्ता, संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं

का निर्धारण होता है, इसलिए यदि महिलाओं की आवाज़ इसमें अनुपस्थित रहती है, तो लोकतंत्र असंतुलित और अपूर्ण बना रहता है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण भारतीय राजनीति के नैतिक, संवैधानिक और व्यावहारिक तीनों स्तरों पर अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्थापित होता है। भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने सत्ता को केंद्र और राज्य स्तर से आगे बढ़ाकर जनता के निकट पहुँचाने का प्रयास किया है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य शासन को स्थानीय आवश्यकताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है। इस संदर्भ में स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती हैं, जहाँ सामान्य नागरिकों के साथ–साथ महिलाएँ भी प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में भागीदारी कर सकती हैं। विकेंद्रीकरण ने प्रशासनिक दक्षता के साथ–साथ सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता को भी सुदृढ़ किया है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का सबसे संगठित और प्रभावी रूप है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें भारतीय ग्राम परंपरा में निहित हैं, किंतु स्वतंत्रता के बाद इसे संस्थागत रूप बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समितियों की अनुशंसाओं से मिला। वास्तविक सशक्तीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियमए 1992 के माध्यम से हुआ, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इस प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बना दिया।

पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया, बल्कि शासन को अधिक मानवीय और संवेदनशील स्वरूप भी प्रदान किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को नई प्राथमिकता मिली। समकालीन भारतीय राजनीति में, जब लोकतंत्र की गुणवत्ता और समावेशिता पर प्रश्न उठ रहे हैं, तब पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का अध्ययन जमीनी लोकतंत्र की शक्ति और संभावनाओं को समझने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होता है।

साहित्य समीक्षा

डॉ. राम आहूजा (2014) ने अपनी पुस्तक सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भारतीय समाज की संरचना के संदर्भ में विश्लेषित किया है। लेखक के अनुसार महिला सशक्तीकरण सामाजिक परिवर्तन का एक अनिवार्य घटक है, जो बिना राजनीतिक सहभागिता के संभव नहीं हो सकता। वे स्पष्ट करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ, विशेषकर स्थानीय स्वशासन, महिलाओं को सामाजिक जड़ताओं से मुक्त करने का माध्यम बन सकती हैं। पंचायती राज व्यवस्था को वे सामाजिक गतिशीलता का एक प्रभावी मंच मानते हैं, जहाँ महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय–निर्माण और सामूहिक चेतना का अनुभव प्राप्त होता है। इस दृष्टि से आहूजा का अध्ययन पंचायती राज को महिला सशक्तीकरण के सामाजिक आधार के रूप में रेखांकित करता है, जो इस शोध के वैचारिक ढाँचे को सुदृढ़ करता है।

डॉ. बद्री नारायण (2018) ने पुस्तक भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक न्याय के व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है। पुस्तक में लेखक ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक प्रक्रिया न मानकर सामाजिक पुर्नसरचना का माध्यम बताया है। महिला सशक्तीकरण को वे लोकतांत्रिक न्याय का केंद्रीय तत्व मानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लेखक जमीनी लोकतंत्र का वह मंच मानते हैं जहाँ हाशिए पर खड़ी महिलाएँ पहली बार सत्ता से सीधा संवाद स्थापित करती हैं। वे तर्क देते हैं कि स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से सत्ता का चरित्र अधिक समावेशी बनता है। यह पुस्तक इस शोध के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण को केवल लैंगिक मुद्दा न मानकर लोकतंत्र की गुणवत्ता से जोड़ती है।

बीना अग्रवाल (1994) की पुस्तक A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानता और सत्ता संरचनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। लेखिका का तर्क है कि राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण परस्पर जुड़े हुए हैं। यद्यपि पुस्तक का मुख्य फोकस भूमि अधिकारों पर है, फिर भी स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को वे सशक्तीकरण की आधारशिला मानती हैं। पंचायती राज जैसी संस्थाएँ महिलाओं को निर्णय–निर्माण की क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में

सुधार होता है। अग्रवाल यह स्पष्ट करती हैं कि जब महिलाएँ संस्थागत सत्ता में भाग लेती हैं, तो वे केवल प्रतिनिधि नहीं रहतीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की वाहक बनती हैं।

जॉर्ज मैथ्यू (2000) की पुस्तक Status of Panchayati Raj in the States of India में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक कार्यान्वयन का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है। लेखक ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों की संरचनाए कार्यक्षमता और महिला सहभागिता का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महिला आरक्षण ने स्थानीय राजनीति को अधिक सहभागी बनाया है। मैथ्यू का अध्ययन यह दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण का सबसे सशक्त प्रवेश द्वार है। यह पुस्तक इस शोध के लिए अनुभवजन्य और नीतिगत आधार प्रदान करती है।

शोध उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भारतीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण की भूमिका एवं प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक निर्णय–निर्माण में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. क्या पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ किया है।
2. पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का स्थानीय शासन एवं विकासात्मक नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

शोध परिकल्पना

$\mathbf{H_1}$ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण ने भारतीय राजनीति में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

$\mathbf{H_2}$ पंचायत स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शासन की प्रकृति अधिक सहभागी, समावेशी और जन कल्याणकारी बनी है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े चयनित ग्राम पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा अनौपचारिक संवाद के माध्यम से संकलित किए गए हैं, जिससे उनके अनुभवों और सहभागिता को समझा जा सके। द्वितीयक आँकड़ों के अंतर्गत पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों, आयोगों की सिफारिशों तथा पंचायती राज से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति से किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का सम्यक मूल्यांकन किया जा सके।

महिला सशक्तिकरणः सैद्धांतिक दृष्टिकोण

महिला सशक्तिकरण आधुनिक सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन की एक केंद्रीय अवधारणा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में समान एवं प्रभावी भागीदारी प्रदान करना है। यह अवधारणा केवल अधिकारों की औपचारिक प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति–संतुलन में परिवर्तन की प्रक्रिया को इंगित करती है। सैद्धांतिक रूप से महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान को सुदृढ़ करना, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर स्वतंत्र

रूप से निर्णय कर सकें।

महिला सशक्तिकरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग–अलग रूपों में प्रस्तुत की गई है, किंतु इसका मूल तत्व समान है सत्ता और संसाधनों तक महिलाओं की समान पहुँच। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएँ स्वयं को सामाजिक नियंत्रण से मुक्त कर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती हैं। सशक्तिकरण व्यक्तिगत चेतना से प्रारंभ होकर सामूहिक कार्रवाई तक विस्तारित होता है, जो लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है।

सशक्तिकरण के आयाम बहुआयामी हैं। राजनीतिक आयाम के अंतर्गत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास आता है। राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि नीति–निर्माण को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाती है। सामाजिक आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान और लैंगिक भेदभाव से मुक्ति शामिल है। जब महिलाएँ सामाजिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे परंपरागत बंधनों को चुनौती देने की स्थिति में आती हैं। आर्थिक आयाम महिला सशक्तीकरण का आधारभूत तत्व है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और निर्णय–निर्माण में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। आय, संपत्ति और रोजगार तक पहुँच महिलाओं के सामाजिक दर्जे को नई दिशा देती है। मनोवैज्ञानिक आयाम सशक्तीकरण का आंतरिक पक्ष है, जिसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास शामिल है। बिना मानसिक सशक्तीकरण के अन्य सभी आयाम अधूरे रह जाते हैं। सहभागी लोकतंत्र महिला सशक्तीकरण को केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रखकर सक्रिय सहभागिता में रूपांतरित करता है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय बनाने की दिशा में एक सशक्त विचारधारा प्रस्तुत करता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की संवैधानिक भागीदारी

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को संवैधानिक आधार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसने स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताओं में त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, नियमित चुनाव, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा ग्राम सभा को लोकतंत्र की मूल इकाई के रूप में मान्यता देना शामिल है। इन प्रावधानों ने ग्रामीण शासन में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुदृढ़ किया। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था इस संशोधन का सबसे क्रांतिकारी पक्ष रही है। इसके माध्यम से महिलाओं को पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ, जिससे वे निर्णय–निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनीं। कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया, जिससे महिला नेतृत्व को और अधिक प्रोत्साहन मिला।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। इस प्रावधान ने दोहरे वंचन का सामना कर रही महिलाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया और सत्ता संरचना को अधिक समावेशी बनाया। ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका भी इस व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है। ग्राम सभा के माध्यम से महिलाएँ स्थानीय समस्याओं, विकास योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती हैं, जिससे जमीनी लोकतंत्र सशक्त और उत्तरदायी बनता है।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी संस्थागत माध्यम बनकर उभरी है। इस व्यवस्था ने महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें सत्ता, संसाधनों और निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी, संवेदनशील और जनोन्मुख बनाया है।

1. **राजनीतिक सशक्तिकरणः** निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का मूल आधार है। पंचायत बैठकों, ग्राम सभा और विकास योजनाओं में महिलाओं की

सहभागिता से स्थानीय नीतियाँ जन आवश्यकताओं के अनुरूप बनने लगी हैं। इससे महिलाओं की राजनीतिक दृश्यता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।

नेतृत्व क्षमता का विकास पंचायत स्तर पर निर्वाचित पदों ने महिलाओं को प्रशासनिक अनुभव, संवाद कौशल और संगठनात्मक दक्षता प्रदान की है। इससे वे केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि न रहकर प्रभावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी हैं। राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी ने महिलाओं को अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया है, जिससे उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ हुआ है।

2. **सामाजिक सशक्तीकरणः** पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाने का मंच प्रदान किया है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला प्रतिनिधियों की पहल से सामाजिक चेतना विकसित हुई है।

   शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में योगदान महिलाओं की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। विद्यालयों, आंगनबाड़ी, मातृ–शिशु स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियानों में महिला नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं इसके साथ ही लैंगिक समानता की दिशा में पहल के अंतर्गत महिलाओं ने सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास किया है, जिससे समानता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

3. **आर्थिक सशक्तिकरणः** आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। पंचायतों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रोत्साहन मिला, जिससे महिलाओं की आय–सृजन क्षमता बढ़ी और ग्रामीण आजीविका योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें रोजगार, कौशल और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान की है साथ ही स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण ने महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में सहभागी बनाया, जिससे उनका सामाजिक दर्जा और सौदेबाजी की शक्ति सुदृढ़ हुई। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तीकरण को बहुआयामी रूप प्रदान करती है।

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्वः पंचायत स्तर से उच्च राजनीति तक

पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व के विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान किया है। पंचायत स्तर से विधानसभा और संसद तक का राजनीतिक सफर महिलाओं के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण भूमि के रूप में उभरा है, जहाँ वे प्रशासन, जनसंपर्क और नीति–निर्माण की मूल प्रक्रियाओं से परिचित होती हैं। पंचायतों में कार्य करते हुए महिलाएँ स्थानीय समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण को समझती हैं, जो आगे चलकर उच्च राजनीति में उनके दृष्टिकोण को अधिक जनोन्मुख बनाता है।

इस प्रक्रिया ने जमीनी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब महिलाएँ स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में सहभागी होती हैं, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक संरचना न रहकर सामाजिक भागीदारी का जीवंत रूप बन जाता है। महिला प्रतिनिधित्व ने राजनीति को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाया है, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके साथ ही महिला नेतृत्व की छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। पारंपरिक रूप से राजनीति को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था, किंतु पंचायतों से उभरकर आई महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि वे प्रभावी नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन कर सकती हैं। परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व अब सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने लगा है।

पंचायती राज में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उन्हें अनेक संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना आज भी ग्रामीण समाज में गहराई से विद्यमान है, जो महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकती है। कई मामलों में महिला प्रतिनिधियों को केवल नाममात्र का पदाधिकारी मान लिया जाता है। इससे जुड़ी हुई ''सरपंच पति'' की समस्या महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को

कमजोर करती है, जहाँ वास्तविक सत्ता पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है। इसके अतिरिक्त, अनेक महिलाओं में शिक्षा एवं प्रशासनिक अनुभव का अभाव भी प्रभावी कार्य निष्पादन में बाधा बनता है। शासन की जटिल प्रक्रियाएँ, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी ज्ञान की कमी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है साथ ही, राजनीतिक हिंसा एवं दबाव जैसे धमकी, सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक हस्तक्षेप महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। ये सभी चुनौतियाँ पंचायती राज में महिलाओं की वास्तविक सशक्त भूमिका को बाधित करती हैं।

चुनौतियों के समाधान एवं सुधारात्मक सुझाव

पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं। सर्वप्रथम नेतृत्व प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को प्रशासनिक, वित्तीय और संवाद कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे वे आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकेंगी। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, दायित्वों और सुरक्षा उपायों से परिचित कराते हैं, जिससे वे बाहरी दबावों का सामना कर सकें इसके साथ ही महिला–अनुकूल नीतियाँ जैसे कार्यकाल में सहयोगी वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत समर्थन उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वास्तविक सत्ता हस्तांतरण, जहाँ महिला प्रतिनिधियों को केवल औपचारिक पद नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णयात्मक अधिकार प्रदान किए जाएँ। इन उपायों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन सकती है।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। स्थानीय स्वशासन की इस प्रणाली ने महिलाओं को राजनीतिक परिधि से बाहर रखे जाने की स्थिति को तोड़ते हुए उन्हें सत्ता, निर्णय–निर्माण और नेतृत्व के वास्तविक मंच प्रदान किए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता ने न केवल उनके राजनीतिक अधिकारों को सुदृढ़ किया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी ने यह स्पष्ट किया है कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, तो लोकतंत्र अधिक समावेशी और संवेदनशील बनता है। भारतीय राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था ने लोकतंत्र को केवल संस्थागत ढाँचे तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक आधार प्रदान किया है।

महिला नेतृत्व के उदय ने राजनीति की प्रकृति को अधिक जनोन्मुख बनाया है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को नई प्राथमिकता मिली है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहराई आई है और शासन की उत्तरदायित्वशीलता में वृद्धि हुई है। महिलाएँ अब केवल प्रतिनिधि नहीं, बल्कि परिवर्तन की सक्रिय वाहक के रूप में उभर रही हैं। भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तीकरण का एक स्थायी आधार बन सकती है, बशर्ते वास्तविक सत्ता हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सामाजिक चेतना को निरंतर सुदृढ़ किया जाए। यदि संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जाए, तो पंचायतों से उभरने वाला महिला नेतृत्व भारतीय राजनीति को अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और सहभागी स्वरूप प्रदान कर सकता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होती है।

संदर्भ सूची

1. कुमार, पवन (2025) पंचायती राज एवं महिला जागरूकताः उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जनपद के विशेष संदर्भ में, *Recent Researches in Social Sciences & Humanities*, 12(2), 115–120.
2. सिंह, प्रमोद (2024) भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका' पंचायती राज के विशेष संदर्भ में, *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology*, 2(10), 34–39.

3. सोलंकी, आर.; जैन, व. (2025) महिला सशक्तिकरणः पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका. *International Journal of Political Science and Governance,* 7(7), 124–126.

4. मीनाक्षी; रानी, र. (2024) पंचायती राज संस्था में आरक्षण नीति का अध्ययन. *Innovative Research Thoughts,* 10(3), 238–243.

5. Hota, P. (2020) *Empowerment of Women through Panchayati Raj.* Om Publications, New Delhi.

6. Palanithurai, G. (2002) *Dynamics of New Panchayati Raj System in India: Empowering Women.* Concept Publishing Company, New Delhi.

7. Sanjay, K. (2021) Panchayati Raj and Women Empowerment. *Elementary Education Online*, 20(4), 5444–5450.

8. Rajasekhar, D. & Manjula, R. (Eds.). (2024) Women Leadership, Decentralised Governance and Local Development in India. *Springer Nature,* Singapore.

——==00==——